

प्रेषक,

आलोक कुमार वर्मा,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिला न्यायाधीश,
ऊधमसिंहनगर।

न्याय अनुभाग:-1

देहरादून, दिनांक: 22 अगस्त, 2017

विषय: श्री इन्दर सिंह, अधिवक्ता/नोटरी, तहसील काशीपुर, जिला ऊधमसिंहनगर के नोटरी प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-813/नोटरी-2016 दिनांक 05.10.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री इन्दर सिंह, अधिवक्ता/नोटरी, तहसील काशीपुर, जिला ऊधमसिंहनगर के नोटरी प्रमाण पत्र सं0-02(03)/2002 का नवीनीकरण दिनांक 10.04.2017 से अग्रिम पांच वर्षों के लिए कर दिया गया है। नवीनीकृत नोटरी प्रमाण-पत्र सम्बन्धित नोटरी को हस्तगत किये जाने हेतु संलग्न है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(आलोक कुमार वर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या : 05 /नो0एम0/XXXVI(1)/2017-32 नो0एम0/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
2. निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. श्री इन्दर सिंह, नोटरी/अधिवक्ता, मौहल्ला रहमखानी, थाना व तहसील काशीपुर, ऊधमसिंहनगर।
4. ✓ गार्ड फाईल/एन0आई0सी।

आज्ञा से,

(महेश चन्द्र कौशिवा)
अपर सचिव